वित्तीय स्वीकृति

संख्या-73/2018/435/एक-5-2018-68/2014 टी0सी0-2

प्रेषक,

किंजल सिंह ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक 22 मई, 2018**

विषयः- जनपद बांदा में नवसृजित तहसील पैलानी के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष अन्तर की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2692/12-भवन-54/2014(आवा0) दिनांक 14 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बांदा में नवस़जित तहसील पैलानी के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-407/एक-5-2015-68/2014 दिनांक 25/03/2015 के द्वारा मानकीकृत लागत रू0-264.23 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 132.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-12/एक-5-2017-68/2014 दिनांक 03/01/2017 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्क्रम में उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष अन्तर की धनराशि तृतीय/अन्तिम किश्त के रूप में **रू0 82.23 लाख (रू0 बयासी लाख तेईस हजार मात्र)** अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

(3) स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि को डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-407/एक-5-2015-68/2014 दिनांक 25/03/2015 मे उल्लिखित शर्तें प्रभावी रहेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-106-साधारण पूल आवास-07-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यो एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(किंजल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-73/2018/435/एक-5-2018-68/2014 टी0सी0-2, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, बांदा।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पूर्ववर्ती नाम पैकफेड)/ संबंधित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6/ गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।